IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY (IJARETY)

Volume 11, Issue 2, March 2024

Impact Factor: 7.394

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102008

भारतीय संविधान का व्यावहारिक पक्ष : परिवर्तन की आवश्यकता

PROFESSOR RAJNI TASIWAL

POLITICAL SCIENCE, GOVERNMENT COLLEGE, TONK, RAJASTHAN, INDIA

सार

भारतीय संविधान देश के मौलिक कानून के रूप में हमारे मूल्यों, सिद्धांतों और शासन के ढांचे का प्रतीक है। यह भारत की सर्वोच्च विधि के रूप में भूमिका निभाता है, तथा राज्यों के कामकाज का भी मार्गदर्शन करता है। भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को भी सुनिश्चित किया जाता है। भारतीय संविधान अपने ऐतिहासिक संघर्षों, दार्शनिक आदर्शों और सामाजिक आकांक्षाओं की जड़ों के साथ लोकतंत्र, न्याय और समानता की ओर राष्ट्र की सामूहिक यात्रा को प्रदर्शित करता है।

परिचय

किसी राज्य का संविधान मूल सिद्धांतों या स्थापित परंपराओं का एक मौलिक समूह होता है जिसके आधार पर राज्य के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यह सरकार की संस्थाओं के संगठन, शक्तियों और सीमाओं के साथ-साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों के मध्य एक संतुलन की तरह कार्य करता है। यह देश के सर्वोच्च कानून के रूप में भूमिका निभाता है, जो सरकार के कामकाज, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा एवं सामाजिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। भारत का संविधान भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए रूपरेखा तैयार करता है, सरकार की संस्थाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है। संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा के साथ- साथ शासन के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया जाता है। संविधान में देश के प्रशासन का मार्गदर्शन करने वाले नियमों और विनियमों का एक समूह होता है।

भारतीय संविधान की संरचना (Structure of the Indian Constitution)

भारतीय संविधान विश्व के सबसे लंबे एवं विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान की संरचना के विभिन्न घटकों को इस प्रकार देखा जा सकता है:

- भाग (Parts): संविधान में "भाग" का तात्पर्य समान विषयों या प्रवृत्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के समूह से है। भारतीय संविधान विभिन्न भागों में विभाजित है, प्रत्येक भाग देश के कानूनी, प्रशासनिक या सरकारी ढांचे के विशिष्ट पहलू से संबंधित है।
    - मूल रूप से, भारतीय संविधान में 22 भाग थे।
    - वर्तमान में, भारतीय संविधान में 25 भाग हैं।
- अनुच्छेद (Articles): "अनुच्छेद" संविधान के अंतर्गत एक विशिष्ट प्रावधान या खंड को संदर्भित करता है, जो देश के कानूनी और सरकारी ढांचे के विभिन्न पहलुओं का विवरण प्रदान करता है।
    - संविधान के प्रत्येक भाग में क्रमानुसार क्रमांकित कई अनुच्छेद होते हैं।
    - मूलत: भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे।
    - वर्तमान में, भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद हैं।
- अनुसूचियाँ (Schedules) – "अनुसूची" संविधान से सम्बंधित एक सूची या तालिका को संदर्भित करती है जो संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी या दिशानिर्देशों का विवरण प्रदान करती है।
    - अनुसूचियाँ स्पष्टता और पूरक विवरण प्रदान करती हैं, जिससे संविधान अधिक व्यापक और कार्यात्मक बन जाता है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102008

- मूल रूप से, भारत के संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं।

भारतीय संविधान का अधिनियमन और अंगीकरण (Enactment and Adoption of the Indian Constitution)

- भारतीय संविधान का निर्माण 1946 में गठित एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।
- 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा में भारत के स्थायी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारुप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। तदनुसार, डॉ. बी.आर. आंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारुप समिति गठित की गई थी।
- प्रारुप समिति के द्वारा संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिनों का कुल समय लगा।[1,2,3]
- कई विचार-विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद, संविधान के प्रारुप को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित किया गया था। इसे भारत के संविधान की "अंगीकृत तिथि" के रूप में जाना जाता है।
- संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। हालाँकि, संविधान का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत एक संप्रभु गणराज्य बन गया। इस तिथि को भारत के संविधान के "अधिनियमन तिथि" के रूप में जाना जाता है।

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

सबसे विस्तृत लिखित संविधान

भारतीय संविधान विश्व के सभी लिखित संविधानों में सबसे विस्तृत है। भारतीय संविधान के व्यापक और विस्तृत दस्तावेज होने में योगदान देने वाले कई कारक हैं, जैसे देश की विशाल विविधता को एकता में समायोजित करने की आवश्यकता, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए एक ही संविधान, संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों और जानकारों की उपस्थिति आदि।

विभिन्न स्रोतों से प्रेरित

भारतीय संविधान के अधिकाँश प्रावधान 1935 के भारत शासन अधिनियम के साथ-साथ विभिन्न अन्य देशों के संविधानों के प्रमुख प्रावधानों संशोधित करके भारतीय परिस्थितियों के अनुरुप अपनाया गया है।

कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण

संविधानों को वर्गीकृत किया जाता है – कठोर (इसमें संशोधन के लिए एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है)
और लचीला (इसमें सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है)।

- भारतीय संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों व्यवस्थाओं का एक मिश्रण है।

एकात्मकता के साथ संघीय प्रणाली

भारतीय संविधान सरकार की एक संघीय प्रणाली स्थापित करता है और इसमें संघ के सभी सामान्य लक्षण शामिल होते हैं।

- हालाँकि, इसमें बड़ी संख्या में एकात्मक या गैर-संघीय विशेषताएँ भी शामिल हैं।

संसदीय शासन प्रणाली

भारतीय संविधान ने ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के मध्य सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102008

संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय

भारत में संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के मध्य समन्वय स्थापित किया गया हैं, अर्थात् भारतीय संविधान में विधि के निर्माण के लिए विधायिका के अधिकार और संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में इन विधियों की समीक्षा और व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति के मध्य एक संतुलन बनाया गया है।

- हालाँकि विधि बनाने का अंतिम अधिकार संसद को है, न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करती है तथा न्यायपालिका द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि संसदीय कार्य संवैधानिक मानदंडों के अनुसार हों तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा के अनुरूप हों।

एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका

भारतीय संविधान के द्वारा देश में एक एकीकृत और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली स्थापित की गई है।

- एक एकीकृत न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि न्यायालयों की एक एकल प्रणाली, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय शामिल हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानूनों की संविधान की मूल अवसरंचना अनुरूप समीक्षा करती है।
- एक स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली का अर्थ है कि भारतीय न्यायपालिका स्वायत्त रूप से संचालित होती है, जो सरकार की कार्यकारी और विधायी शाखाओं के प्रभाव से स्वतंत्र है।

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान की गईं है, जिससे देश में राजनीतिक लोकतंत्र के विचार को बढ़ावा मिलता है। वे कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों के लागू होने से प्रतिबंधित करते हैं।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

भारतीय संविधान में DPSP के रूप में सिद्धांतों का एक समूह शामिल है, जो उन आदर्शों को दर्शाते है जिन्हें राज्य को नीतियाँ और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए।

- नीति-निर्देशक तत्त्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देकर भारत में एक 'कल्याणकारी राज्य' स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

मौलिक कर्तव्य

मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में उल्लिखित नैतिक और नागरिक दायित्वों का एक समूह है।

- ये कर्तव्य नागरिकों को एक मजबूत और सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में योगदान करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं।

धर्मनिरपेक्ष राज्य[4,5,6]

भारतीय संविधान किसी विशेष धर्म को भारतीय राज्य के आधिकारिक धर्म के रूप में नहीं मानता है। इसके बजाय, यह अनिवार्य करता है कि राज्य को सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी विशेष धर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध भेदभाव करने से परहेज करना चाहिए।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

भारतीय संविधान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के आधार के रूप में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाता है।

- प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है,उसे जाति, नस्ल, धर्म, लिंग, साक्षरता, धन आदि के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है।

एकल नागरिकता

एकल नागरिकता भारत में एक संवैधानिक सिद्धांत है जिसके तहत सभी नागरिकों को, चाहे वे किसी भी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

स्वतंत्र निकाय

भारतीय संविधान ने कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना की है जिन्हें भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के रक्षक के रूप में परिकल्पित किया गया है।

आपातकालीन प्रावधान

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी असाधारण स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आपातकालीन प्रावधान मौजूद हैं।

- इन प्रावधानों को शामिल करने का तर्क देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली और संविधान की रक्षा करना है।

त्रि-स्तरीय सरकार

त्रि-स्तरीय सरकार का अर्थ है सरकार की शक्तियों और दायित्वों को तीन स्तरों पर विभाजित किया जाता है – केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और स्थानीय सरकारें (पंचायतें और नगरपालिकाएं)।

- इस विकेंद्रीकृत प्रणाली के द्वारा क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का निर्माण किया जाता है, जो भागीदारीपूर्ण लोकतंत्र और जमीनी स्तर के विकास को बढ़ावा देती है।

सहकारी समितियाँ

2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया।

भारतीय संविधान का महत्त्व

- विधि का शासन: संविधान विधि के शासन पर आधारित प्रशासन के लिए रुपरेखा स्थापित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति, सरकारी अधिकारियों सहित, विधि से ऊपर नहीं है।
- अधिकारों की सुरक्षा: यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, जैसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता आदि की रक्षा करता है, साथ ही साथ इन अधिकारों के उल्लंघन होने पर कानूनी निवारण के लिए तंत्र भी प्रदान करता है।
- सरकार की संरचना: संविधान सरकार की संरचना को चित्रित करता है, तथा सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है। शक्तियों के इस पृथक्करण के सिद्धांत से जांच और संतुलन को बढ़ावा मिलता है।

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102008

- लोकतांत्रिक सिद्धांत: सार्वभौम वयस्क मताधिकार जैसे प्रावधानों के माध्यम से संविधान निःशुल्क और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से शासन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखता है।
- स्थिरता और निरंतरता: संविधान शासन में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करता है, जो क्रमिक सरकारों को मार्गदर्शन देने और राजनीतिक व्यवस्था में अचानक परिवर्तन को रोकने के लिए एक ढांचे के रूप में कार्य करता है।
- राष्ट्रीय एकता: भारतीय संविधान लोगों की विविधता को मान्यता प्रदान करता है तथा इस विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा प्रोत्साहित किया जाता है, साथ ही राष्ट्र के प्रति सामान्य नागरिकता और निष्ठा की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है।
- कानूनी ढांचा: संविधान कानूनी आधार के रूप में कार्य करता है जिस पर सभी कानून और विनियम आधारित होते हैं, कानूनी प्रणाली में निरंतरता और सुसंगतता प्रदान करते हैं।
- अनुकूलनशीलता (Adaptability): एक स्थिर ढांचा प्रदान करते हुए, संविधान बदलती सामाजिक आवश्यकताओं और मूल्यों को समायोजित करने के लिए आवश्यक संशोधनों की भी अनुमति प्रदान करता है, जो समय के साथ इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है।

भारत के संविधान के स्रोत

- 1935 का भारत सरकार अधिनियम – संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।
- ब्रिटिश संविधान – सरकार की संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीय प्रणाली।
- अमेरिकी संविधान – मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना और उपराष्ट्रपति का पद।
- आयरिश संविधान – राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि।
- कनाडाई संविधान – एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार।
- ऑस्ट्रेलियाई संविधान – समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और अंतर्व्यापार की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
- जर्मनी का वाइमर संविधान – आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।
- सोवियत संविधान (USSR, वर्तमान में रूस)– प्रस्तावना में मौलिक कर्तव्य और न्याय का आदर्श (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक)।
- फ्रांसीसी संविधान – गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्श।
- दक्षिण अफ्रीकी संविधान – संविधान में संशोधन और राज्य सभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया।
- जापानी संविधान – विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।[7,8,9]

भारतीय संविधान की विभिन्न अनुसूचियाँ

अनुसूची	विषय – वस्तु	विवरण
अनुसूची I	राज्यों के नाम और उनका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार एवं केंद्रशासित प्रदेशों के नाम और उनका विस्तार	–
अनुसूची II	परिलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान	यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन का

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102008

		विवरण प्रस्तुत करता है।
अनुसूची III	शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र	यह अनुसूची विभिन्न संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों जैसे सांसदों, विधायकों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र प्रदान करती है।
अनुसूची IV	राज्य सभा में सीटों का आवंटन	यह अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा (राज्यों की परिषद) की सीटों का आवंटन निर्धारित करती है।
अनुसूची V	अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान	–
अनुसूची VI	असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान	–
अनुसूची VII	संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अनुसार संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन।	वर्तमान में, संघ सूची में 100 विषय (मूल रूप से 97), राज्य सूची में 61 विषय (मूल रूप से 66) और समवर्ती सूची में 52 विषय (मूल रूप से 47) शामिल हैं।
अनुसूची VIII	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ।	मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी आदि।
अनुसूची IX	संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ।	मूल रूप से इसमें 14 भाषाएँ थीं लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं जैसे असमिया, बंगाली, बोडो, गुजराती, हिंदी आदि।
अनुसूची IX	"यह अधिनियम राज्य विधानसभाओं के उन अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है जो भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े हैं, जबकि संसद अन्य मामलों से संबंधित है।"	यह अनुसूची 1951 के प्रथम संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जो उन कानूनों को संरक्षण प्रदान करती है जिन्हें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।
अनुसूची X	दल-बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान।	यह अनुसूची 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, जिसे दल-बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है।
अनुसूची XI	पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के विषय में विवरण।	यह अनुसूची 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।
अनुसूची XII	नगर पालिकाओं की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्वों के विषय में विवरण।	यह अनुसूची 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी।

विचार-विमर्श

भारतीय संविधान राष्ट्र के लोकतांत्रिक आदर्शों और आकांक्षाओं का प्रमाण है। इसका निर्माण सावधानीपूर्वक किया गया है, जो ऐतिहासिक संघर्षों और दूरदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है, और यह भारत को एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध समाज की ओर ले जाने का मार्गदर्शन प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने मूल्यों को बनाए रखने, विविधता के बीच एकता को बढ़ावा देने और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए महत्त्वपूर्ण है, इस प्रकार यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करता है।

- संविधानवाद – संविधानवाद एक ऐसी प्रणाली है जहां संविधान सर्वोच्च होता है और संस्थाओं की संरचना और प्रक्रियाएं संवैधानिक सिद्धांतों से संचालित होती हैं। यह एक ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत राज्य को अपना कार्य संचालन करना पड़ता है। यह सरकार पर भी सीमाएँ आरोपित करते है।
- संविधानों का वर्गीकरण – दुनिया भर के संविधानों को निम्नलिखित श्रेणियों और उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

International Journal of Advanced Research in Education and TechnologY(IJARETY)

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102008

प्रकार (Type)	स्वरुप	उदाहरण
संहिताबद्ध (Codified)	एकल अधिनियम में (दस्तावेज़)	संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत
असंहिताबद्ध (Uncodified)	पूर्णतः लिखित (कुछ दस्तावेज़ों में) आंशिक रूप से अलिखित	इज़राइल, सऊदी अरब न्यूज़ीलैंड, यूनाइटेड किंगडम

पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर की शासन व्यवस्था के ढांचे ने हर किसी के कल्याण के साधन के रूप में शिक्षा के महत्व पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है. 1948 में अपनाए गए मानवाधिकारों के सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) घोषणापत्र (UDHR) के अनुच्छेद 26 में शिक्षा को एक अपरिहार्य मानवाधिकार के तौर पर रेखांकित करते हुए "हर किसी के लिए शिक्षा के अधिकार" की अनिवार्यता के बारे में बताया गया है. इसके बाद कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी घोषणाओं में आख़िरी मील तक शिक्षा की पहुंच का विस्तार करने की आवश्यकता को दोहराया गया है क्योंकि शिक्षा किसी भी आधुनिक समाज की सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए ज़रूरी बनी हुई है. चूंकि अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं काफी हद तक प्रथागत बनी हुई हैं, ऐसे में देश का संविधान क़ानूनी ताकत के साथ वास्तविक चीज़ है जो आधुनिक देशों की शासन व्यवस्था की संरचना (गवर्नेंस आर्किटेक्चर) को आगे बढ़ाता है. अलग-अलग देशों में 'कानून के शासन' पर आधारित संविधान के लागू होने के साथ सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार उस सामाजिक अनुबंध का एक स्पष्ट और अभिन्न हिस्सा बन गया जिसे ज़्यादातर संप्रभु देशों ने अपने नागरिकों को दिया है.

चूंकि अंतर्राष्ट्रीय घोषणाएं काफी हद तक प्रथागत बनी हुई हैं, ऐसे में देश का संविधान क़ानूनी ताकत के साथ वास्तविक चीज़ है जो आधुनिक देशों की शासन व्यवस्था की संरचना (गवर्नेंस आर्किटेक्चर) को आगे बढ़ाता है.[10]

परिणाम

दुनिया 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाती है. इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र ने शांति और विकास को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका पर ज़ोर देने के लिए की थी. इस संदर्भ में ये लेख दुनिया भर के देशों में संवैधानिक घोषणाओं पर प्रकाश डालेगा ताकि ये समझा जा सके कि कैसे अलग-अलग संवैधानिक दृष्टिकोणों ने अपने सभी लोगों को शिक्षा प्रदान करने की अनिवार्यता को महसूस किया है और किस हद तक संवैधानिक वादा अभी तक साकार हुआ है. संवैधानिक दृष्टिकोण को दो स्तरों पर दर्शाया गया है: पहला ये कि क्या वैचारिक स्तर पर संविधान स्पष्ट रूप से अपने सभी नागरिकों को शिक्षा के अधिकार का वादा करता है; दूसरा ये कि क्या संविधान ने अपने नागरिकों के लिए शिक्षा को केवल एक अधिकार के तौर पर घोषित किया है या समावेशी शासन व्यवस्था के निशान के रूप में नागरिकों के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिए शिक्षा को किफायती और उपलब्ध बनाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष प्रावधान पर ज़ोर देने की दिशा में आगे बढ़ा है. अंत में ये लेख इन देशों में शैक्षणिक प्राप्ति के पैमाने का पता लगाता है ताकि शैक्षणिक अधिकारों की संवैधानिक गारंटी के फलीभूत होने की सीमा को मापा जा सके.

संवैधानिक रूप से स्थापित प्रतिबद्धताओं को स्वीकार करते हुए दुनिया भर के कई देशों ने अपने-अपने संविधानों में शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने वाले स्पष्ट प्रावधानों को शामिल किया है. 1970 से पहले अपनाए गए केवल 63 प्रतिशत संविधानों में जहां ये प्रावधान शामिल थे, वहीं 2000 से लागू सभी संविधानों ने शिक्षा के अधिकार की गारंटी देने वाले स्पष्ट संवैधानिक दृष्टिकोण की घोषणा की है. वर्तमान समय में दुनिया भर के 152 देश शिक्षा के अधिकार की गारंटी देते हैं, हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर इनमें काफी अधिक अंतर है. सभी दक्षिण एशियाई देश और लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, यूरोप एवं मध्य एशिया के ज़्यादातर देश शिक्षा के अधिकारों के लिए संवैधानिक प्रावधानों की गारंटी देते हैं. इसके विपरीत पूर्व एशिया एवं प्रशांत, मिडिल ईस्ट एवं उत्तर अफ्रीका और सब-सहारन अफ्रीका के लगभग 12 से 25 प्रतिशत देश शैक्षणिक अधिकारों से जुड़े किसी विशेष प्रावधान की घोषणा नहीं करते.

हालांकि कोई भी दो देश एक समान शिक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं देते. कई देश शिक्षा को मूलभूत अधिकार के तौर पर स्वीकार करते हैं और इसके लिए उन्होंने अपने संविधान या राष्ट्रीय कानून में प्रावधान किया है लेकिन इन अधिकारों की सीमा और स्वरूप में काफी अंतर है. नीचे की तालिका 1 तीन मानकों के आधार पर दुनिया भर के अलग-अलग क्षेत्रों में शैक्षणिक अधिकारों का तुलनात्मक विश्लेषण पेश करती है. ये मानक हैं- समावेशिता (संवैधानिक अधिकारों के तहत आने वाली अनिवार्य शिक्षा का स्तर और जिस उम्र तक शिक्षा अनिवार्य है), सामर्थ्य (शैक्षणिक संस्थानों का स्वरूप और उससे जुड़ी लागत) और पहुंच (योग्यता या प्रतिस्पर्धा के आधार को छोड़कर शिक्षा तक समान पहुंच और गैर-भेदभाव का अधिकार). [9]

हालांकि, संवैधानिक ढांचे के परे इन अधिकारों को लागू करना अलग-अलग देशों में भिन्न है. कई विकसित देशों जैसे कि जर्मनी में सरकार बिना किसी स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के सभी स्तरों पर बिना किसी रोक-टोक के शिक्षा प्रदान करती है. इसके साथ-साथ कुछ विकासशील देशों में शैक्षणिक अधिकारों के एहसास में संसाधनों की कमी, राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक फैक्टर या दूसरी चुनौतियों से रुकावट आ सकती है. विचार के योग्य एक और पहलू है प्राइवेट शिक्षा की मौजूदगी. कुछ देशों में शिक्षा जहां एक अधिकार है, वहीं सरकार शायद इसे सीधे प्रदान नहीं कर सकती है. ऐसे में प्राइवेट संस्थानों को कभी-कभी किसी कीमत पर शैक्षणिक सेवा की पेशकश करने की मंज़ूरी मिलती है. ये कानून और व्यवहार के बीच अंतर के बारे में बताता है. नीचे आंकड़ा 2 साफ तौर पर दिखाता है कि शिक्षा के अधिकार को जहां व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं राष्ट्रीय संविधानों से इसे समर्थन मिलता है, वहीं इसका वास्तविक कार्यान्वयन और प्रदान की गई गारंटी का स्तर एक देश से दूसरे क्षेत्र के देश तक महत्वपूर्ण रूप से अलग हैं. स्पष्ट संवैधानिक प्रावधानों की कमी के बावजूद पूर्व एशिया एवं प्रशांत, यूरोप, मध्य एशिया और उत्तर अमेरिका में कई देशों ने समावेशिता को सुनिश्चित करते हुए अपनी आबादी के बीच शैक्षणिक लाभ को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके साथ-साथ सब-सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया के कुछ देश अपने नागरिकों के लिए अच्छे इरादे के साथ अधिकारों की गारंटी के बावजूद महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. **[8,9]**

वास्तव में दुनिया भर के लोगों के लिए एक निर्णायक अधिकार के रूप में शिक्षा पर बढ़ता संवैधानिक ज़ोर सबके लिए शिक्षा तक बेहतर पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में दुनिया के द्वारा ताकत लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है. हालांकि संवैधानिक प्रथाओं पर करीब से नज़र डालने पर पता चलता है कि शैक्षणिक अधिकार को साकार करना कई के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है.

समावेश की सीमा

पहली चुनौती है सीमित समावेशिता जो कि दुनिया भर में बनी हुई है. संवैधानिक गारंटी और सरकार की कोशिशों के बावजूद कई लोग अभी भी प्राथमिक शिक्षा के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं. एक अध्ययन से पता चलता है कि दुनिया भर में **7.2** करोड़ बच्चे अभी भी प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं क्योंकि स्कूल उनके लिए उपलब्ध नहीं हैं. **75.9** करोड़ वयस्क निरक्षरता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं और अपने लिए एवं अपने परिवारों के लिए सामाजिक-आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करने में सक्षम नहीं हैं. इस तरह की उपलब्धता की कमी के पीछे गहरी जड़ें जमा चुके सरकारी, संरचनात्मक और सामाजिक फैक्टर के जुड़ाव को ज़िम्मेदार माना जाता है. रोज़गार की कमी, कुपोषण, अपर्याप्त संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक पूर्वाग्रह और शिक्षा के प्रति अज्ञानता सामूहिक रूप से शिक्षा को एक अपरिहार्य मानवाधिकार बनाने की तरफ वैश्विक संवैधानिक कोशिशों को कमज़ोर करती हैं. स्कूल की पढ़ाई नहीं करने वाले **3.2** करोड़ बच्चों के साथ सब-सहारन अफ्रीका बुनियादी शिक्षा के अवसरों तक पहुंच नहीं होने के मामले में दुनिया के सबसे गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है. साथ ही, मध्य एवं पूर्वी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों और प्रशांत के कुछ हिस्सों में अभी भी ऐसे **2.7** करोड़ अशिक्षित बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं. अधिक स्कूल ड्रॉपआउट रेट ऐसे क्षेत्रों की पहचान करती है क्योंकि बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए सही माहौल नहीं मिलता.

रोज़गार की कमी, कुपोषण, अपर्याप्त संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक पूर्वाग्रह और शिक्षा के प्रति अज्ञानता सामूहिक रूप से शिक्षा को एक अपरिहार्य मानवाधिकार बनाने की तरफ वैश्विक संवैधानिक कोशिशों को कमज़ोर करती हैं.

दूसरी चुनौती है शिक्षा हासिल करने में गंभीर लैंगिक आधारित निषेध बना होना क्योंकि दुनिया के कई देशों में लड़कियों का एक बड़ा वर्ग स्कूल से बाहर बना हुआ है. ये स्कूल नहीं जाने वाली आबादी का **54** प्रतिशत हिस्सा है. अरब के देशों और मध्य, पश्चिमी एवं दक्षिणी एशिया के कुछ ख़ास क्षेत्रों में शिक्षा में लैंगिक असंतुलन की समस्या बहुत ज़्यादा बनी हुई है. अफ़ग़ानिस्तान, सोमालिया और यमन सबसे अधिक प्रभावित देश हैं जहां लड़कियों की शिक्षा को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ कर दिया गया है. बेहद कठोर रूढ़िवादी सामाजिक ढांचा और गहराई से जुड़े पितृसत्तात्मक मानदंड आज भी लड़कियों की शिक्षा के प्रति महत्वपूर्ण रुकावटें बनी हुई हैं. **[10]**

शिक्षा की क्वॉलिटी

शिक्षा तक पहुंच के मामले में समावेशिता की कमी के अलावा कई देशों में शिक्षा की क्वॉलिटी की कड़ी जांच-पड़ताल की जा रही है. संवैधानिक और कानूनी उपायों के माध्यम से दुनिया भर में शिक्षा तक पहुंच का दायरा धीरे-धीरे व्यापक हो रहा है लेकिन ये उपाय छात्रों के बीच क्षमता निर्माण या कौशल विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं या नहीं, ये अनिश्चित बना हुआ है. कई देशों में अलग-अलग अध्ययनों से पता चला है कि स्कूल जाने के बाद भी लाखों बच्चों में पढ़ने, लिखने, गिनने और समझने के कौशल में कमी है. वैसे तो स्कूलों में उनके नामांकन को शैक्षणिक प्राप्ति के निशान के तौर पर देखा जाता है लेकिन ये किसी भी कौशल को विकसित करने या बच्चों के लिए करियर को आगे बढ़ाने और रोज़गार के अवसरों के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक क्षमता निर्माण और व्यावसायिक ट्रेनिंग की सुविधा देने में नाकाम रहा है.

| ISSN: 2394-2975 | www.ijarety.in| | Impact Factor: 7.394| A Bi-Monthly, Double-Blind Peer Reviewed & Referred Journal |

|| Volume 11, Issue 2, March 2024 ||

DOI:10.15680/IJARETY.2024.1102008

यहां तक कि सामाजिक स्तर पर भी चूंकि शिक्षा कुशल मानवीय पूंजी के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है, ऐसे में किसी सार्थक क्षमता विकास के बिना शिक्षा के परिणाम आर्थिक उत्पादकता को नुकसान पहुंचाएंगे और इस तरह राष्ट्रीय निर्माण के प्रयासों को भी. बुनियादी ढांचे के विकास एवं वित्तीय समर्थन की कमी, अपर्याप्त असरदार ट्रेनिंग और अलग तरह की पढ़ाई की तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षकों को मामूली प्रोत्साहन शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएंगे. गैर-परंपरागत नीतिगत कदम जैसे कि बच्चों की तरह-तरह की सीख की आवश्यकता पर आधारित व्यक्तिगत पढ़ाई की तकनीकों को सार्थक शैक्षणिक नतीजे हासिल करने के लिए प्राथमिकता देने की ज़रूरत है. **[7,8]**

निष्कर्ष

आधी लड़ाई जीत ली

दुनिया के लिए ये वक्त की ज़रूरत है कि वो महसूस कर ले कि स्कूलों में नामांकन के उच्च स्तर से गुणवत्तापूर्ण एवं यथार्थवादी कौशल विकास की तरफ परिवर्तन का नतीजा कभी भी स्वयंसिद्ध नहीं होगा. इसे ठोस और केंद्रित नीतिगत पहल के ज़रिए सावधानीपूर्वक चलाने की ज़रूरत है. कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक महत्वपूर्ण नागरिक अधिकार के रूप में शिक्षा के संवैधानिक विचार को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की कोशिशों ने शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने का एक क्रमिक लेकिन ठोस प्रयास किया है. हालांकि, समावेशी और सार्थक तरीके से शैक्षणिक अधिकारों के क्षैतिज फैलाव और पर्याप्त गहराई को सुनिश्चित करना आधी लड़ाई जीतने की तरह बना हुआ है.**[10]**

संदर्भ

1. "Preface, The constitution of India" (PDF). http://india.gov.in/my-government/constitution-india/constitution-india-full-text. Government of India. मूल से 31 मार्च 2015 को पुरालेखित (PDF). अभिगमन तिथि 5 February 2015. ।
2. ↑ "Introduction to Constitution of India". Ministry of Law and Justice of India. 29 July 2008. मूल से 22 अक्तूबर 2014 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2008-10-14.
3. ↑ Das, Hari (2002). Political System of India. Anmol Publications. पृ° 120. आईऍसबीऍन° 81-7488-690-7.
4. ↑ "The Constitution of India: Role of Dr. B.R. Ambedkar". मूल से 2 April 2015 को पुरालेखित.
5. ↑ "http://www.inbais.com/2021/02/article-1-to-395-in-hindi.html". मूल से 24 जून 2021 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 17 जून 2021. ।
6. ↑ [https://www.drishtiias.com/gs-special/gs-special-polity/important-sources-of-the-indian-constitution]
7. ↑ Pylee, M.V. (1997). India's Constitution. S. Chand & Co. पृ° 3. आईऍसबीऍन° 81-219-0403-X.
8. ↑ "संग्रहीत प्रति". मूल से 11 मई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2016.
9. ↑ "भारत का संविधान (पूर्ण पाठ)". मूल से 25 दिसंबर 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 26 नवंबर 2016.
10. ↑ "दूसरी अनुसूची" (PDF). मूल (PDF) से 18 जनवरी 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 फरवरी 2016.

IJARETY

International Journal of Advanced Research in Education and Technology

ISSN: 2394-2975 Impact Factor: 7.394

www.ijarety.in editor.ijarety@gmail.com